अपील सूचना अधिकार संख्या 191/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

03—04—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से जिस प्रकार से सूचनांए चाही गयी थी उस प्रकार से उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:—

> सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा दायर प्रथम अपील के संबंध में वाछित सूचनांए निम्न है:—
>
> क्रमांक 1   अपील सं0 2   अपील दायर करने की दि0 3   अपील जिसके विरूद्ध की गयी उसका पदनाम 4
>
> सुनवाई की तिथि 5   जिस प्रत्यर्थी द्वारा जबाब नही दिया गया उसकी सूचना 6

अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा पत्र संख्या 2095 दिनांक 13.12.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:—

> आप द्वारा जिस प्रपत्र में सूचना चाही गई है उस प्रपत्र में सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"च" के अनुसार सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न तो नई सूचना बनाकर दे सकते है और न ही कोई अपना मत दे सकते है। केवलमात्र सूचना उसी रूप में प्रदान की जा सकती है जिस रूप में सूचना उपलब्ध है। उपलब्ध अभिलेख में से तथ्यों को खोजकर नई सूचना तैयार कर सूचना उपलब्ध करवाना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।
>
> इस प्रकार आप द्वारा जिस प्रपत्र में सूचना चाही है उस प्रपत्र में सूचना संधारित नही होने से उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। इसलिए आपका प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। यदि आप इस उत्तर से सन्तुष्ट नही है तो 30 दिवस के भीतर जिला कलक्टर महोदय को प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।
>
> आप द्वारा धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत अपीलो का नियमानुसार अवलोकन कर अपीलों में उपलब्ध जिस अभिलेख की प्रमाणित प्रति लेना चाहे नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किसी निश्चित अभिलेख की सूचना न होकर बल्कि उसके द्वारा अपना प्रपत्र तैयार कर उसमें सूचना तैयार कर उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो की नई सूचना तैयार कर, प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 13.12.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

803-04
13/4/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकार्ड लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को वापिस लौटाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर